263

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 671/18 मा0 जोन-डी दिनांक : 15-11-18

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मै0 रैनीसन्स रियलकॉन प्रा0 लि0 द्वारा श्री अतुल गुप्ता द्वारा पत्र दिनांक 17.08.2018 के माध्यम से ग्राम अब्दुल्लापुर मेरठ के खसरा संख्या–393, 394, 95, 396, 400पार्ट, 465, 466, 468, 469, 453पार्ट की कुल भूमि क्षेत्रफल 30101.78 वर्ग मी0 पर स्थित कोरल स्प्रिंग (एक्सटेंशन) के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–10/13 दिनांक 08.11.2013 एवं पुनः संशोधित दिनांक 01.06.2018 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर परीक्षण व स्थल निरीक्षण सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभारी मानचित्र, जोनल अधिकारी जोन–डी व मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियन्ता सदस्य है, के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जो अवस्थापना सुविधाओं के आन्तरिक विकास कार्यो यथा–सड़क, कल्वर्ट, ड्रेन, जलापूर्ति, ओवर हैड टैंक, सीवर, मेनहॉल, पार्क एवं उद्यान, स्ट्रीट लाईट, विद्युत आपूर्ति, एस.टी.पी./ई.टी.पी., रेनवाटर हार्वेस्टिंग के दृष्टिगत सही पाया गया तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 31.10.2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अनुसार कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा कालोनी के बाहर किला परीक्षतगढ़ रोड पर नाले का निर्माण करने के उपरान्त ड्रेनेज लाईन को अपने व्यय पर संयोजन किया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
2. कालोनी को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष अथवा कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित होने तक (जो भी समयावधि अधिक हो) कालोनी की सर्विसेज का रख–रखाव विकासकर्ता अथवा आर.डब्लू.ए. को करना होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार तलपट मानचित्र में निहित भूमि के स्वामित्व आदि के सम्बन्ध में वाद–विवाद होने पर विकासकर्ता स्वंय उत्तरदायी होगें।

संलग्नक :– पूर्णता मानचित्र की प्रति।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Recd
4/12/18